क्रमांक:एफ.3(4)वित्त/एसपीएफसी/एस.पी.पी.पी/तकनीकी/2020 दिनांक:– 22.10.2020

परिपत्र

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 17, आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 4 तथा इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या–1 दिनांक 30.01.2014 व 13.05.2020 तथा समय–समय पर जारी अन्य परिपत्रों/आदेशों/दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रत्येक उपापन संस्था द्वारा आरटीपीपी एक्ट की धारा 17(3) के बिन्दु संख्या 'क' से 'ज' में वर्णित समस्त सूचनाओं का राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशन किया जाना बाध्यकारी है परन्तु अधिकांश प्रकरणों में यह पाया गया है कि उपापन संस्थाओं द्वारा उपापन से सम्बन्धित समस्त अपेक्षित आवश्यक सूचनाओं का राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशन नहीं किया जा रहा है जो कि लोक उपापन में पारदर्शिता की भावना के विरूद्ध है।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप उपापन में पारदर्शिता बढ़ाये जाने हेतु सफल बोलीदाताओं को दिये जाने वाले कार्यादेश का राज्य लोक उपापन पोर्टल पर उपापन संस्थाओं द्वारा प्रकाशन किये जाने हेतु एक नवीन मोड्यूल Work Order Identification Number (WIN) की सुविधा राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रारंभ की गयी है जिस पर प्रत्येक कार्यादेश का प्रकाशन किये जाने पर Work Order Identification Number (WIN) जनरेट होगा।

इस प्रकार प्रत्येक कार्यादेश के लिए एक 16 अंक/अक्षर का कोड आवंटित किया जायेगा। आवंटित कोड के प्रथम तीन अक्षर विभाग के बारे में, आगामी चार अंक चालू वित्तीय वर्ष के लिए (वर्ष 2020–21 के लिए 2021), आगामी एक अक्षर W/S/G (Works/Services/Goods) उपापन की श्रेणी के बारे में, आगामी पांच अंक बोली संख्या के लिए इसके पश्चात कार्यादेश को प्रदर्शित करने हेतु W तथा अंतिम दो अंक कार्यादेश के क्रमांक के बारे में इंगित करेंगे।

राज्य लोक उपापन पोर्टल(SPPP) को आईएफएमएस से इंटीग्रेशन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है अतः कार्यादेशों के संदर्भ में किये जाने वाले भुगतानों में Work Order

Identification Number (WIN) का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा तत्संबंधी बिलों का भुगतान किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों एवं उपापन संस्थाओं को एतद् द्वारा पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे अपने विभाग में किए जाने वाले उपापनों से संबंधित आवश्यक सूचनाओं का प्रकाशन लोक उपापन पोर्टल पर नियमानुसार निर्धारित अवधि में ही कराना सुनिश्चित करावें।

उपरोक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना की जावें।

(टी.रविकान्त)
शासन सचिव
वित्त(बजट)विभाग

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित प्रेषित है:–

1. निजी सचिव,राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण /राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव,मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव को उनके अधीनस्थ विभागों एवं उपक्रमों में लागू करवाने हेतु।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायलय,जोधपुर/जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान,जयपुर।
7. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
8. प्रधान महालेखाकार (ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
9. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
11. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी समस्त विभाग।
13. समस्त कोषाधिकारी।
14. निदेशक (तकनीकी), वित्त विभाग को प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने का श्रम कराएँ।
15. रक्षित पत्रावली।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (जीएण्डटी) विभाग